न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या :– 65/18

उनवान

1. मुस्ताक बेग पुत्र कमरूबेग
2. फिरोज बेग पुत्र गफूर बेग
3. बाबर बेग पुत्र रूस्तम बेग
4. सद्दीक बेग पुत्र भंवर बेग
5. जुम्मा बेग पुत्र अनवर बेग जाति मुसलमान निवासी जिलावडा

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता सीताराम रावत

बनाम

1. बाबू बेग पुत्र हासम बेग
2. रहमत बेग पुत्र बाबू बेग
3. मुराद बेग पुत्र बाबू बेग
4. सलीम बेग पुत्र बाबू बेग
5. हनीफ बेग पुत्र बाबू बेग
6. ईस्लाम बेग पुत्र हैदर बेग
7. मुस्ताक बेग पुत्र हैदर बेग जाति मुसलमान निवासी ग्राम जिलावडा

—— अप्रार्थीगण :– जरिये अधिवक्ता मौहम्मद इकबाल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गज धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहित बाबत स्टे आदेश की पुलिस इमदाद से पालना हेतु

–: आदेश :–

दिंनाक :– 4.1.19

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता हासम बेग द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में राजस्व वाद अनतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया का निर्णय डिकी दिनांक 11.5.2011 को उनवान हासम व अन्य बनाम भंवर बेग व अन्य प्रकरण संख्या 56/09 में वाद स्वीकार कर पारित किया गया के विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व अपील अधिकारी अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत की गयी में अपील संख्या 163/2011 दर्ज की जाकर भंवर बेग बनाम हासम बेग अपील में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निर्णय डिकी दिनांक 11.5.2011 के विरूद्ध अपील में विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 188/5324 रकबा 2.12 भूमि पर दिनांक 18.5.2011 को रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे का स्थगन आदेश प्रार्थीगण की अपील में पारित किया गया है जो आदेश आज दिवस तक यथावत उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। माननीय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर न्यायालय के आदेश दिनांक 18.5.2011 से स्टे आदेश यथास्थिति के बावजूद स्टे आदेश की खुले रूप से अवज्ञा कारित करते हुए

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवादित स्थल जमीन में अवैध निर्माण दिनांक 25.7.2018 को चालू करते हुए मकान बनाना शुरू कर दिया 7 फिट उँची दीवार बनाकर निर्माण कार्य जारी रख हुए है। तथा राजस्व अपील अधिकारी अजमेर न्यायालय के स्टे आदेश की पालना के लिए अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया तो अप्रार्थीगण ने धमकी दी की न्यायालय के ऐसे कई आदेश आते है व स्टे आदेश की पालना नहीं करेंगे तथा विवादित जमीन पर मकान बनाकर बेदखल करने की धमकी दी है जिससे स्टे आदेश की पालना पुलिस इमदाद से कराया जाना अंतिम विकल्प है। अप्रार्थीगण के द्वारा स्टे आदेश के बावजूद अवैध निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया । प्रार्थी सद्दीक द्वारा मना करने पर उल्टा प्रार्थी सद्दीक को स्टे के तथ्य छुपाते हुए पुलिस थाना श्रीनगर में धारा 151 दण्ड प्रकिया संहिता में बंद कर दिया गया। पुलिस थाना श्रीनगर में विवादित भूमि पर स्टे आदेश होने बराबत प्रार्थीगण द्वारा कहते हुए पुलिस थाना अधिकारी अप्रार्थी संख्या 8 को नकल दी गयी किन्तु कोई कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्ध नहीं की गयी जिससे माननीय न्यायायलय से आदेश जारी कर स्टे आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिये पुलिस इमदाद न्याय हित में पारित किया जाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जिसमें अप्रार्थीगणों के द्वारा निवेदन किया गया की न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष अपील संख्या 163/2011 भंवरबेग बनाम हासम बेग व अन्य की अपील की आदेशिका से संबंधित है।आवेदन पत्र में वर्णित भूमि के किसी भी भाग पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया एवं ना ही किया जा रहा है। आवेदन पत्र में अप्रार्थी संख्या 5 हनीफ बेग को पक्षकार बनाया गया जबकि हनीफ बेग बाबू बेग का पुत्र ही नहीं है गलत पक्षकार बनाया गया है। अपील संख्या 163/2011 में अपीलार्थी संख्या 9 श्री हैदर बेग पुत्र बाबू बेग जिसका स्वर्गवास दिनांक 6.12.15 को ही हो चुका था उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुती के रोज अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 अपील संख्या 163/2011 में पक्षकार ही नहीं है। न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के द्वारा अपील संख्या 163/2011 में आदेश दिनांक 18.5.2011 की पालना सुनिश्चित करवाने एवं इमदाद पुलिस के संदर्भ में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो विधि के सुस्थापित सिद्वान्त के अनुसार पोषणीय एवं संधारण योग्य ही नहीं है। आवेदन पत्र में वर्णित भूमि के संदर्भ में कोई प्रकरण पत्रावली माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन ही नहीं है। इस कारण आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अवमानना नहीं की गई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 हासम पुत्र पीरू बेग के वारिसान बाबू बेग व अन्य तथा हेदर बेग के वारिसान के मध्य पूर्व में ही राजीनामा हो चुका था।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया की दिनांक 18.5.2011 को पारित आदेश माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के द्वारा पारित किया गया है। जिसकी पालना हेतु 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा स्टे होने के बावजूद निर्माण कार्य करवाया गया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के न्यायालय में अवज्ञा प्रार्थना पत्र भी हमारे द्वारा पेश की गई। सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार आदेश 21 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र लगाया गया है। 151 सीपीसी के प्रावधानों के तहत कोर्ट को शक्तियॉ प्राप्त है। अतः पुलिस इमदाद से पालना करवाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया की प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के स्टे आदेश की पालना के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु वर्तमान में इस न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई दावा विचाराधीन नहीं है तथा किसी प्रकार का दावा विचाराधीन नहीं होने से कार्यवाही भी जिसमें दावा विचाराधीन है उसी कोर्ट में की जावेगी। जिस कोर्ट का प्रकरण है उसकी पालना भी उसी कोर्ट द्वारा करवाई जावेगी। इस कोर्ट में 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

Scanned by CamScanner

चलने योग्य ही नहीं है। ना ही सीपीसी में ऐसा कोई प्रावधान व नियम है। इस कोर्ट में पत्रावली चलने पर ही 151 सीपीसी के प्रावधान लागू होंगे। अतः 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

अतः इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है की अप्रार्थी द्वारा राजस्व वाद प्रकरण संख्या 56/09 अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवान हासम व अन्य में निर्णय डिक्री दिनांक 11.5.2011 से रूस्ट होकर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व अपील अधिकारी अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । माननीय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर न्यायालय के आदेश दिनांक 18.5.2011 की पालना हेतु प्रार्थी द्वारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है की जिस न्यायालय में दावा विचाराधीन है उसी कोर्ट में 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। जिस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है उसकी पालना भी उसी न्यायालय द्वारा करवाई जावेगी । प्रश्नगत प्रकरण में मूल वाद का निस्तारण हाजा न्यायालय द्वारा किया जा चुका है व वादग्रस्त प्रकरण के संबंध में कोई कार्यवाही अथवा पत्रावली हाजा न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह अंतरिम आदेश की परिभाषा में आता है। प्रकरण में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया है ना ही अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी आदेश की पालना हेतु हाजा न्यायालय को निर्देशित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा यदि अंतरिम आदेश की अवज्ञा की जा रही है तो भी प्रार्थी का दायित्व है कि वह पहले अपीलीय न्यायालय के सामने उक्त तथ्य प्रस्तुत करें। अतः इस न्यायालय में 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"अस्वीकार"** किया जाता है पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner